न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 02/2015 (आरसीएमएस संख्या : 2015/00061)
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

भौरिया पुत्र श्री बालू, जाति–मीणा, निवासी–ताजपुरा मय बाढ, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर। (मृतक)

1/1 जगदीश पुत्र स्व0 श्री भौरिया, जाति–मीणा, निवासी–ताजपुरा मय बाढ, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

अप्रार्थी,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री उमेश पुरोहित, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 18.12.2019

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम ताजपुरा मय बाढ की आराजी खसरा नम्बर 2 सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर मुमकिन नदी दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2021 में इसका खसरा नम्बर परिवर्तित होकर 29 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 में भौरिया पुत्र श्री बालू की खातेदारी में दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में दर्ज गैर–मुमकिन नदी आराजी की निजी खातेदारी नहीं दी जा सकती अतः खारिज फरमाई जावे। तहसीलदार, चाकसू के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.06.2011 स्वीकार करते हुए प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाने के आदेश दिये गये इसके संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा दिनांक 09.09.2015 द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जावे और वर्तमान जमाबंदी के अंकन मूलतः जिस आदेश से सृजित हुए हैं, उस आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर, मूल दस्तावेजों या पत्रावली के साथ नये सिरे से रेफरेन्स करने को स्वतंत्र है।

तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल की आज्ञा दिनांक 09.09.2015 के अनुसरण में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत किया गया है जिसे दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम ताजपुरा मय बाढ की आराजी खसरा नम्बर 2 सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर मुमकिन नदी दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2021 में इसका खसरा नम्बर परिवर्तित होकर 29 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 में भौरिया पुत्र श्री बालू की खातेदारी में दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी नियमों के विपरीत जरिये मिसल नम्बर 138/1959 दिनांक 03.08.1959 को भौरिया पुत्र श्री बालू को आवंटित की गई है जिसका गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या–12 स्वीकार किया गया है तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या–26 आराजी खसरा नम्बर 29 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। बन्दोबस्त सम्वत् 2051–2070 में वादग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर परिवर्तन होने के फलस्वरूप वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 1.74 हे0 भौरिया पुत्र श्री बालू के नाम दर्ज है। जो अब भौरिया की विरासत का नामान्तरकरण जगदीश पुत्र भौरीलाल के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 में दर्ज है। विवादग्रस्त आाराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गै0मु0 नदी दर्ज है। एकीकरण सम्वत् 2021 में भी गैर–मुमकीन नदी दर्ज है, आवंटी गैर–खातेदार दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम, 1957 में गैर–मुमकिन नदी आराजी का आवंटन वर्जित है व 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक बिला लगानी गै0मु0 नदी भूमि की निजी खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने

के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री उमेश पुरोहित ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि पुनः प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तथ्यों एवं मौके की बिना जांच किये प्रस्तुत किया गया है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तथ्यों एवं मौके की स्थिति के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी नियमानुसार मौके की एवं तथ्यों की जांच कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित की गई है और आवंटन दिनांक 03.08.1959 से आवंटी का कब्जा निर्बाध रूप से रहा है और आवंटी को नियमानुसार आवंटन की शर्तें पूरी किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा खातेदारी प्रदान की गई है। खातेदारी का नामान्तरकरण आवंटी के नाम स्वीकार किया गया है। खातेदार की मृत्यु के पश्चात् वारिसान का कब्जा काश्त है और दर्ज राजस्व रिकार्ड है। आवंटन के पश्चात् एकीकरण एवं भू–प्रबन्ध हो चुका है और इसमें बतौर खातेदार नाम दर्ज है। यहां तक कि बन्दोबस्त सम्वत् 2051–2070 में वादग्रस्त आराजी की किस्म जमीन चाही चतुर्थ दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मौके पर काश्त हो रही है और कोई नदी नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर आवंटी/खातेदार का 60 वर्ष से अधिक का कब्जा काश्त है। खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। आवंटन के पश्चात् खातेदारी प्राप्त होने पर जरिये रेफरेन्स खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। तहसीलदार द्वारा आवंटन किया गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा ही रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार के द्वारा तथ्यों एवं मौके की जांच कर आवंटन किया गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार अपने कथन से एस्टोपल है। रेफरेन्स प्रार्थन पत्र में अब्दुल रहमान प्रकरण के तथ्यों का कथन किया गया है जबकि विचारण प्रकरण पर अब्दुल रहमान प्रकरण के तथ्य लागू नहीं होते है। खातेदार अनुसूचित जन जाति का गरीब काश्तकार है, परिवार का भरण–पोषण वादग्रस्त आराजी से ही होता है । एक लम्बे अन्तराल के पश्चात् रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है । अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम ताजपुरा मय बाढ की आराजी खसरा नम्बर 2 सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर मुमकिन नदी दर्ज है जो एकीकरण सम्वत् 2021 में इसका खसरा नम्बर परिवर्तित होकर 29 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है और जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 में भौरिया पुत्र श्री बालू की खातेदारी में

दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी नियमों के विपरीत जरिये मिसल नम्बर 138/1959 दिनांक 03.08.1959 को भौरिया पुत्र श्री बालू को आवंटित की गई है जिसका गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या–12 स्वीकार किया गया है तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या–26 आराजी खसरा नम्बर 29 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। बन्दोबस्त सम्वत् 2051–2070 में वादग्रस्त आराजी का खसरा नम्बर परिवर्तन होने के फलस्वरूप वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 1.74 हे0 भौरिया पुत्र श्री बालू के नाम दर्ज है। जो अब भौरिया की विरासत का नामान्तरकरण जगदीश पुत्र भौरीलाल के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी (जिसकी किस्म जमीन गै0मु0 नदी दर्ज है), आवंटन/नियमन/हक खातेदारी हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम, 1957 में गैर–मुमकिन नदी आराजी का आवंटन वर्जित है व 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत सिवायचक बिला लगानी गै0मु0 नदी भूमि की निजी खातेदारी दर्ज की गई है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 03.08.1959 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नदी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004–2023 से होती है और इस आराजी का आवंटन भौरया पुत्र बालू, जाति–मीणा को दिनांक 03.08.1959 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–12 ग्राम–ताजपुरा मय बाढ से होती है। खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या–26 स्वीकार किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक बिना

लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नदी की खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, कोटखावदा द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामत: उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 2 जिसके एकीकरण में खसरा नम्बर 29 बने हैं और मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2051–2070 के नवीन खसरा नम्बर 104 हैं ग्राम–ताजपुरा मय बाढ आवंटन दिनांक 03.08.1959 बहक भौरिया पुत्र श्री बालू, जाति–मीणा को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान को दिनांक 11.02.2020 को प्रात: 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 18.12.2019 को सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर